न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या :—341 / 16

दायर दिनांक :—28—12—2016

निर्णय दिनांक :—17.01.2017

अनवान

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का धोरीमना

बनाम

हरीकिशन पुत्र रामुराम , जाति — , निवासी— धोरीमना

<u>निर्णय</u>

दिनांक :—17.01.2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धोरीमना ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम धोरीमना के आराजी नम्बर 424 / 4 रकबा 3.16 बीघा भूमि किस्म गेर मुमकीन बा.सो. लगान 0.0025 रूपये भूमि पर द्वारा संवत 2073 में रकबा 0.02 (1800 व.फी.) पर दुकाने बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर. के तहत बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किया गया। गैरसायल अनुपस्थित। गैरसायल की ओर से कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है ।

मेरे द्वारा उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि गैरसायल द्वारा विवादित भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे गैरसायल को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है । एवं तथा वार्षिक लगान 0.0025 रूपये का 1/रूपये का 50 गुणा , 50/ रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का को आदेश दिये जाते है कि उक्त अतिकमी को बेदखल करे । टी0आर0ए0 तथा पटवारी हल्का को मांगकायमी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2017 को मुकाम धोरीमन्ना पर सुनाया गया।

न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

तहसीलदार धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर